

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275724
SG-DL-E-24082026-275724असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2026/भाद्र 2, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 178
No. 243]	DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2026/BHADRA 2, 1948	[N. C. T. D. No. 178

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIमाप एवं तौल विभाग (विधिक माप विज्ञान विभाग)
अधिसूचना
दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

फा. सं. 12(3)/माप एवं तौल/प्रवर्तन/2026/853.— उपर्युक्त प्रारूपित नियम, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (ड) तथा धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 2 के उप-खंड (क्यू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दिल्ली विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2026 के प्रारूप पर दिल्ली के राजपत्र (Official Gazette of Delhi) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तथा 02 हिंदी और 02 अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से दस (10) दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियाँ अथवा सुझाव नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को उनके कार्यालय, वजन एवं माप विभाग (विधिक मापविज्ञान विभाग), प्लॉट संख्या-17, इंस्टीट्यूशनल

एरिया, विश्वास नगर, नई दिल्ली-110032 पर अथवा ई-मेल आईडी controllerwmd@gmail.com, acwmhq@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं:

मसौदा नियम
दिल्ली विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2026

अध्याय—I
प्रारम्भिक

1. सक्षिप्त भीर्शक एवं प्रारम्भ

- (1) इन नियमों को दिल्ली विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2026 कहा जाए।
- (2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
- (क) "अधिनियम" का अभिप्राय विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) से है।
- (ख) "सरकार" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल से है।
- (ग) "विभाग" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माप एवं तौल विभाग (विधिक माप विज्ञान विभाग) से है।
- (घ) "नियंत्रक" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विधिक माप विज्ञान नियंत्रक से है।
- (ङ) "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" का अभिप्राय ऐसी निगम/संगठन/फर्म/किसी अन्य विधिक संस्था से है, जिसे इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट ऐसे माप एवं तौल के सत्यापन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
- (च) "प्रधान अधिकारी" का अभिप्राय सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रभारी व्यक्ति से है।
- (छ) "अनुसूची" का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।
- (2) वे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इसमें प्रयुक्त हैं तथा इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम अथवा विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2013 (केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए) अथवा दिल्ली विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उनमें क्रमशः उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय—II

माप एवं तौल का सत्यापन

3. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का सत्यापन

- (1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट माप एवं तौल का सत्यापन या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा या विभाग की प्रयोगशालाओं द्वारा कराया जाएगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक माप एवं तौल के सत्यापन या पुनः सत्यापन हेतु आवेदन कर सकता है।

अध्याय—III

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन

- 4. सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से संबंधित सामान्य प्रावधान :** (1) सरकार समय-समय पर अनुमोदित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों की सूची अधिसूचित करेगी।
- (2) अधिनियम, विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 तथा सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानकों अथवा विनिर्देशों के उपबंधों के अनुसार माप एवं तौल का सत्यापन इन नियमों के अंतर्गत अनुमोदित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जाएगा।
- (3) प्रत्येक सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र ऐसे मानक माप, तौल, परीक्षण उपकरण तथा अन्य अवसंरचना को अनुरक्षित रखेगा जैसा कि विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 और सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानकों या विनिर्देशों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट है।

5. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन:** (1) कोई भी निगम/संगठन/फर्म/कोई अन्य विधिक संस्था, जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में अनुमोदन प्राप्त करना चाहती है, उसे द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में नियंत्रक को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिए आवेदन करते समय प्रत्येक माप या तौल के लिए प्रति वर्ष दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000/- रुपये) शुल्क का भुगतान "नियंत्रक, माप एवं तौल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय होगा।
- (2) आवेदन प्रस्तावित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (3) अनुमोदन हेतु आवेदन पर विचार करते समय नियंत्रक निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-
- (क) भूमि एवं भवन की उपलब्धता तथा पहुँच;
- (ख) परीक्षण सुविधाओं, मापन उपकरणों एवं अवसंरचना की पर्याप्तता;
- (ग) तकनीकी रूप से योग्य जनशक्ति की उपलब्धता;
- (घ) कुशल एवं समयबद्ध सेवा प्रदान करने की क्षमता;
- (ङ) प्रधान अधिकारी तथा तकनीकी स्टाफ की योग्यता एवं अनुभव;
- (च) कोई अन्य कारक, जो नियंत्रक के मत में, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के समुचित संचालन को प्रभावित कर सकता हो।
- (4) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व आवेदक के परिसर का निरीक्षण कर सकता है।
- (5) नियंत्रक इन नियमों के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।
- (6) इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुमोदन प्रारम्भ में एक कैलेंडर वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा तथा तत्पश्चात् इन नियमों के अनुसार उसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।
- (7) नियंत्रक प्रत्येक अनुमोदित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को एक अद्वितीय कोड संख्या आवंटित करेगा।
- (8) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्:
- (i) विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सत्यापन प्रक्रिया का पालन करेगा;
- (ii) उपकरण का समय-समय पर द्वितीयक मानक प्रयोगशाला अथवा नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा सत्यापन कराएगा;
- (iii) अमानक माप या तौल का सत्यापन नहीं करेगा;
- (iv) नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप एवं रीति से सत्यापित माप एवं तौल की संख्या संबंधी त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगा।
- (9) जहां सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, वहां नियंत्रक, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् तर्कसंगत आदेश द्वारा आवेदन अस्वीकार कर सकेगा।
- (10) उपनियम (9) के अंतर्गत किसी आदेश से व्यथित कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र अधिमानतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विधिक माप विज्ञान विभाग के सचिव के समक्ष तीस दिनों के भीतर अपील कर सकेगा।
- (11) नियंत्रक अधिनियम अथवा इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रदान किए गए अनुमोदन को निलंबित कर सकेगा।
- (12) नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का निरीक्षण कर सकेगा तथा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (13) यदि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो नियंत्रक उसका अनुमोदन निरस्त कर सकेगा।
- बशर्ते कि, ऐसा कोई अनुमोदन संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा।
- (14) नियंत्रक अनुमोदन, निलंबन अथवा निरस्तीकरण के प्रत्येक आदेश की सूचना भारत सरकार के विधिक माप विज्ञान निदेशक को प्रेषित करेगा।

- (15) नियंत्रक, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा की जाने वाली सत्यापन गतिविधियों की प्रकृति तथा उनसे उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, अथवा सरकार अथवा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए किसी भी विधिसम्मत निर्देश के प्रावधानों के उल्लंघन या लापरवाही, चूक अथवा त्रुटिपूर्ण सत्यापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के विरुद्ध पर्याप्त तृतीय पक्ष देयता बीमा कवरेज प्राप्त करने एवं उन्हें अनुरक्षित रखने की अपेक्षा कर सकेगा।
- (16) अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने के अधीन, निम्नलिखित संस्थाएँ, विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 अथवा विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य मानकों में यथा विनिर्दिष्ट इस प्रकार के माप एवं तौल के सत्यापन हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगी, अर्थात्:—
- भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएँ;
 - राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अंतर्गत माप एवं तौल के अंशशोधन हेतु प्रत्यायित प्रयोगशालाएँ, बशर्ते कि वे उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हों;
 - भारत सरकार के उपभोक्ता कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत राष्ट्रीय परीक्षणशाला की प्रयोगशालाएँ; तथा
 - केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र अथवा उनके समकक्ष प्रयोगशालाएँ।
6. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का नवीनीकरण** (i) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रदत्त अनुमोदन का नवीनीकरण नियंत्रक द्वारा एक बार में अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा, बशर्ते कि केन्द्र का कार्य निष्पादन संतोषजनक हो तथा वह अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं जारी निर्देशों का निरंतर अनुपालन करता हो।
- (ii) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रदत्त अनुमोदन के नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ प्रत्येक माप या तौल के लिए प्रति वर्ष दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000/- रुपये) का शुल्क "नियंत्रक, माप एवं तौल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय होगा।
- (iii) नियंत्रक, आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे निरीक्षण अथवा सत्यापन के उपरांत तथा उपर्युक्त खंड (ii) में विनिर्दिष्ट निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन का नवीनीकरण एक बार में न्यूनतम एक कैलेंडर वर्ष तथा अधिकतम पाँच कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए कर सकेगा।
- (iv) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को जारी अनुमोदन प्रमाण-पत्र उसमें उल्लिखित अवधि तक वैध रहेगा, जब तक कि इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उसे निलंबित अथवा निरस्त न कर दिया जाए।

अध्याय-IV

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के कर्तव्य, अर्हताएँ एवं कार्य

7. **प्रधान अधिकारी के कर्तव्य:**— सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रधान अधिकारी—
- परीक्षण केन्द्र की स्वतंत्र रूप से स्थापना एवं संचालन करेगा;
 - यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी स्टाफ अपने कर्तव्यों का निष्पक्षतापूर्वक निर्वहन करें;
 - परिचालन बंद करने के संबंध में नियंत्रक को सूचित करेगा;
 - परीक्षण उपकरणों की शुद्धता तथा अंशशोधन बनाए रखेगा;
 - सत्यापन तथा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों का रिकॉर्ड रखेगा;
 - उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा;
 - नियंत्रक द्वारा जारी किए गए विधिसम्मत निर्देशों का अनुपालन करेगा;
 - यह सुनिश्चित करेगा कि केवल मानक अनुरूप माप एवं तौल पर ही मुहर लगाई जाए;

- (झ) सत्यापन मुहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ताकि उनका दुरुपयोग न हो;
 (ञ) सत्यापन किए गए माप अथवा तौल को प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर वापस करेगा।

8. अर्हताएँ :-

- (i) प्रधान अधिकारी तथा तकनीकी स्टाफ विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान अधिकारियों के लिए निर्धारित अर्हताओं के समतुल्य अर्हताएँ रखते होंगे।
 (ii) प्रधान अधिकारी तथा तकनीकी स्टाफ को विधिक माप विज्ञान के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।
 (iii) कर्मचारियों को नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा नामित संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना चाहिए।

9. सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन हेतु शुल्क :- (1) सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन के लिए देय शुल्क पाँचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के अनुसार होगा:

बशर्ते कि, पाँचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी माप या तौल के संबंध में, जहां उसका सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा किया जाता है, तो वहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क लागू होगा।

- (2) सत्यापन के दौरान अस्वीकृत किसी भी माप या तौल को सुधार किए जाने के पश्चात् नए सिरे से सत्यापन शुल्क के भुगतान पर पुनः प्रस्तुत किया जा सकेगा।

10. सत्यापन चिह्न :- (1) किसी माप या तौल का सत्यापन केवल निर्धारित शुल्क प्राप्त होने तथा निम्नलिखित विवरणयुक्त आवेदन प्राप्त होने पर ही किया जाएगा—

- (क) विनिर्माता, आयातक, डीलर अथवा उपयोगकर्ता का नाम एवं पता;
 (ख) उस परिसर का पता एवं स्थान जहाँ इस प्रकार के माप या तौल का निर्माण, आयात अथवा उपयोग किया जाना वांछित है;
 (ग) विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अनुसार उस माप या तौल की अधिकतम एवं न्यूनतम क्षमता, 'ड.' अथवा 'घ' मान तथा शुद्धता वर्ग;
 (2) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र सफल सत्यापन के उपरान्त संबंधित माप या तौल पर मुहर लगाएगा तथा उसके सत्यापन के प्रमाणस्वरूप सत्यापन प्रमाण—पत्र जारी करेगा। सत्यापन चिह्न में निम्नलिखित अंकित होगा—
 (क) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" अक्षर तथा सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को आवंटित कोड संख्या; तथा
 (ख) सत्यापन की तिमाही तथा वर्ष।
 (3) सत्यापन प्रमाण—पत्र, विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध रहेंगे तथा पाँचवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसका आगे की अवधि के लिए भी नवीनीकरण किया जा सकेगा।
 (4) प्रत्येक माप या तौल के संबंध में परीक्षण केन्द्र द्वारा पृथक सत्यापन प्रमाण—पत्र जारी किया जाएगा तथा ऐसा प्रमाण—पत्र विशेष रूप से सत्यापित व्यक्तिगत उपकरण के अनुरूप होगा।

11. अभिलेखों का अनुरक्षण एवं निरीक्षण :- (1) प्रत्येक सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र माप या तौल के सत्यापन एवं मुहर लगाने से संबंधित अभिलेख को न्यूनतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित रखेगा।

- (2) ऐसे अभिलेख आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

12. सत्यापन का स्थान :- सत्यापन या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदित परिसरों में या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर ऐसे अन्य स्थान पर किया जा सकेगा जिसकी अनुमति नियंत्रक द्वारा प्रदान की गई हो।

13. पर्यवेक्षण :- नियंत्रक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी अधिनियम तथा इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के कार्यों का निरीक्षण कर सकेगा।

14. दायित्व :- प्रधान अधिकारी, लापरवाहीपूर्ण सत्यापन अथवा अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के कारण उत्पन्न किसी भी हानि, क्षति अथवा विधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय—V

प्रमाण—पत्र, निलंबन एवं निरस्तीकरण

15. **अनुमोदन प्रमाण—पत्र की विषय—वस्तु** :— (1) इन नियमों के अंतर्गत जारी प्रत्येक अनुमोदन प्रमाण—पत्र में निम्नलिखित विवरण अंकित होंगे, अर्थात्:—
- (क) प्रमाण—पत्र संख्या;
 - (ख) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का नाम एवं पता;
 - (ग) सत्यापन हेतु प्राधिकृत माप या तौल की श्रेणी;
 - (घ) आवंटित कोड संख्या;
 - (ङ) अनुमोदन की शर्तें, यदि कोई हों;
 - (च) अनुमोदन की वैधता अवधि;
 - (छ) सत्यापन हेतु प्राधिकृत सीमा;
 - (ज) उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु संपर्क विवरण।
- (2) जहाँ किसी माप या तौल को किसी विशिष्ट अथवा विशेष प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया गया हो, वहाँ उससे संबंधित अनुमोदन प्रमाण—पत्र में उस विशेष प्रयोजन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
- (3) नियंत्रक इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त प्रत्येक अनुमोदन प्रमाण—पत्र का विवरण आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।
- (4) नियंत्रक उपर्युक्त उपनियमों में उल्लिखित जानकारी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित किसी पत्रिका अथवा प्रकाशन में भी प्रकाशित करा सकेगा।
16. **सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को आवंटित चिह्न** :— सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को आवंटित चिह्न में "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार", पहचान अक्षर के रूप में और उसके पश्चात अनुमोदन प्रमाण—पत्र जारी किए जाने वाले वर्ष के अंतिम दो अंक (उदाहरणार्थ "26") तथा उसके बाद उस परीक्षण केन्द्र को आवंटित कोड संख्या अंकित होगी।
17. **प्रमाण—पत्र का निलंबन** :— (1) नियंत्रक निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमोदन प्रमाण—पत्र को निलंबित कर सकेगा, यदि—
- (क) सत्यापन अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नहीं किया जाता हो;
 - (ख) सत्यापन के मानकों से समझौता किया गया हो; अथवा
 - (ग) अनुमोदन की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (2) ऐसा कोई निलंबन संबंधित सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।
- (3) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा लागू निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन कर लेने तथा नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा उल्लंघन की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित, अधिकतम एक लाख रुपये अर्थदण्ड का भुगतान करने पर निलंबन वापस लिया जा सकेगा।
18. **प्रमाण—पत्र का निरस्तीकरण** :— (1) यदि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान इस बात से संतुष्ट हो कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र अब अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहा है अथवा नियंत्रक द्वारा समय—समय पर जारी किसी भी निर्देशों का उल्लंघन किया है, तो वह उस परीक्षण केन्द्र को प्रदान किए गए अनुमोदन प्रमाण—पत्र को निरस्त कर सकेगा।
- बशर्ते कि, ऐसा कोई प्रमाण—पत्र तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके धारक को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जाए।
- (2) अनुमोदन प्रमाण—पत्र के निरस्त होने पर सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र तत्काल प्रभाव से सभी सत्यापन गतिविधियाँ बंद कर देगा।
- (3) बशर्ते कि, जहां निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि ऐसे निरस्तीकरण के पश्चात भी किसी माप या तौल का कोई सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन किया गया है, तो वहां नियंत्रक आदेश द्वारा ऐसे माप या तौल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकेगा तथा विधि के अनुसार उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकेगा।

- (4) अनुमोदन प्रमाण-पत्र के निलंबन अथवा निरस्तीकरण से संबंधित प्रत्येक आदेश को नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट इस प्रकार की रीति में विधिवत अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय-VI

विविध

19. **कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के आंकलन, पुनःआंकलन अथवा निरीक्षण पर व्यय :-** सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के आंकलन, पुनःआंकलन अथवा अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण के संबंध में होने वाले सभी व्यय, जिनमें संबंधित अधिकारी(अधिकारियों) के यात्रा व्यय, आवास व्यय तथा अन्य अनुमन्य भत्ते, एवं निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा सहयोग प्रदान करने से संबंधित व्यय भी सम्मिलित होंगे, जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा वहन किए जाएंगे।
20. **माप एवं तौल का जोखिम वर्गीकरण:-** (1) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त माप या तौल का सत्यापन एवं मुहर लगाना, निम्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत उपकरणों के संबंध में स्व-प्रमाणन के आधार पर किया जाएगा। अन्य जोखिम श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले माप या तौल के मामले में सत्यापन एवं मुहर लगाना या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा या विभाग की विधिक माप विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाएगा।
- (2) माप या तौल की जोखिम श्रेणियाँ, उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम तथा निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत होंगी, जैसा कि अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट है।
21. **अपराधों का शमन :-** अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत शमनीय अपराधों का शमन अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
22. **निर्देश जारी करने की शक्ति :-** नियंत्रक, इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम एवं इन नियमों के उपबंधों के साथ असंगत न होने वाले प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकेगा।
23. **निरसन एवं बचाव :-** (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी तत्संबंधी कार्यकारी अनुदेश निरस्त माने जाएंगे।
- (2) ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त अनुदेशों के अंतर्गत किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के अंतर्गत किया गया अथवा की गई मानी जाएगी।

पंकज कुमार, आई.ए.एस नियंत्रक

पहली अनुसूची**[नियम 3 के उप-नियम (1) देखें]****सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापित माप एवं तौल**

(i) निम्नलिखित माप एवं तौल का सत्यापन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा किया जा सकता है:

1. पानी का मीटर
2. स्फिग्मोमैनोमीटर
3. क्लिनिकल थर्मामीटर
4. स्वचालित रेल वजन पुल
5. मापक फीता
6. सटीकता श्रेणी III (150 किलोग्राम तक) के गैर-स्वचालित वजन उपकरण
7. सटीकता श्रेणी III के गैर-स्वचालित वजन उपकरण
8. लोड सेल
9. बीम स्केल
10. काउंटर मशीन
11. सभी श्रेणियों का भार
12. गैस मीटर
13. ऊर्जा मीटर
14. नमी मीटर
15. वाहनों के लिए गतिमापी
16. श्वास विश्लेषक
17. बहुआयामी मापन उपकरण
18. प्रवाह मीटर
19. पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर
20. सीएनजी डिस्पेंसर
21. एलपीजी डिस्पेंसर
22. एलएनजी डिस्पेंसर
23. हाइड्रोजन डिस्पेंसर

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य माप या तौल।

दूसरी अनुसूची**[नियम 5 के उप-नियम (1) देखें]****सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षा केंद्र के अनुमोदन हेतु आवेदन**

- (1) आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता;
- (2) उस माप या तौल का नाम जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के लिए आवेदन किया गया है;
- (3) आवेदक के संबंधित क्षेत्र में अनुभव का विवरण;
- (4) संगठनात्मक संरचना का विवरण;
- (5) प्रधान अधिकारी और अन्य तकनीकी स्टाफ की अर्हता;
- (6) आवेदक/केंद्र के पास उपलब्ध मानकों और अन्य परीक्षण सुविधाओं का विवरण;
- (7) प्रयोगशाला की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की प्रति, यदि उपलब्ध हो तो;
- (8) मांग प्रारूप के विवरण;
- (9) वह क्षेत्राधिकार/क्षेत्र जिसके लिए आवेदन किया गया है;
- (10) उपभोक्ता शिकायत संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप : प्रत्येक आवेदन तीन प्रतियों में होना चाहिए और इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज तथा नियम एवं शर्तें संलग्न होने चाहिए। सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के लिए आवेदन करते समय प्रत्येक माप या तौल के लिए प्रति वर्ष दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000/- रुपये) के शुल्क का भुगतान "नियंत्रक, माप एवं तौल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नई दिल्ली में देय होगा।

तीसरी अनुसूची
[नियम 10 देखें]
सत्यापन प्रमाणपत्र

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र (नाम और पता).....

संख्या.....

अधिकारी का नाम.....

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने आज....., स्थानीय क्षेत्र.....से संबंधित निम्नलिखित माप, तौल आदि का सत्यापन किया है और उन पर मुहर लगाई है/उन्हें अस्वीकार किया है।

मात्रा	मूल्यवर्ग		वजन मापने का उपकरण				मापने का उपकरण	सत्यापन शुल्क रु0 पै0	दुलाई, परिवहन, समायोजन प्रभार आदि
	वजन	माप	क्षमता	वर्ग	विनिर्माता	प्रकार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

दिनांक.....की राशि रसीद संख्या.....के द्वारा जमा की गई कुल राशि.....
 द्वारा मरम्मत/उपयोग

.....(हस्ताक्षर)

अगला सत्यापन दिनांक:.....

प्रधान अधिकारी

टीप :- अस्वीकृत माप, तौल आदि की स्थिति में, प्रधान अधिकारी प्रत्येक वस्तु निमित्त अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए अलग से अस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करेगा।

चौथी अनुसूची

[नियम 15 देखें]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का प्रमाण पत्र
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
 माप एवं तौल विभाग (विधिक माप विज्ञान विभाग)
 सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का अनुमोदन प्रमाण पत्र
 (विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अंतर्गत)

फा0सं0:

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स..... (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र का नाम और पता)
 को निम्नलिखित माप एवं तौल और उनकी श्रेणियों के सत्यापन हेतु..... (स्थान/जिले का
 नाम) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के रूप में अनुमोदित किया गया है:

- (i).....
 (ii).....
 (iii).....

प्रमाणपत्र संख्या: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र / (राज्य
 कोड के दो अंक) / 2026 /

दिनांक तक मान्य

विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा प्रतिलिपि निम्न को:
 निदेशक, विधिक माप विज्ञान, भारत सरकार को सूचना हेतु।

टीप : उपभोक्ता शिकायत की स्थिति में, कृपयापर संपर्क करें।

पांचवीं अनुसूची [नियम 9(1)] – सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केंद्र को देय शुल्क

क्र० सं०	मद	सत्यापन शुल्क (रुपये में)
1	पानी का मीटर	(i) घरेलू पानी के मीटर के लिए 250.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक पानी के मीटरों के लिए 1000.00 रुपये (iii) औद्योगिक पानी के मीटरों के लिए 2500.00 रुपये
2	स्फिग्मोमैनोमीटर	प्रति स्फिग्मोमैनोमीटर के लिए 100.00 रुपये
3	क्लिनिकल थर्मामीटर	प्रति क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए 50.00 रुपये
4	स्वचालित रेल वजन पुल	राज्य सरकार के शुल्क के अनुसार
5	मापक फीता	(i) श्रेणी I: 2.00 रुपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए (ii) श्रेणी II: 1.00 रुपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए (iii) श्रेणी III: 0.50 रुपये प्रति मीटर या उसके भाग के लिए
6	सटीकता श्रेणी III (150 किलोग्राम तक) के गैर-स्वचालित वजन उपकरण	(i) 10 किलोग्राम तक के लिए 2000.00 रुपये (ii) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक के लिए 3000 रुपये
7	सटीकता श्रेणी III के गैर-स्वचालित वजन उपकरण	(i) 10 किलोग्राम तक के लिए 2000.00 रुपये (ii) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक के लिए 3000.00 रुपये
8	लोड सेल	(i) 5 केएन तक के लिए 2000.00 रुपये (ii) 5 केएन से अधिक और 100 केएन तक के लिए 5000.00 रुपये
9	बीम स्केल	(i) 5 किलोग्राम तक के लिए 500.00 रुपये (ii) 5 किलोग्राम से अधिक के लिए 1000.00 रुपये
10	काउंटर मशीन	(i) 5 किलोग्राम तक के लिए 500.00 रुपये (ii) 5 किलोग्राम से अधिक के लिए 1000.00 रुपये
11	सभी श्रेणियों का भार	(i) ई1 श्रेणी के लिए शुल्क: (अ) 1 मि०ग्रा० से 200 ग्राम तक (राइडर सहित 22 पीस): 15,000 रुपये (ब) मिश्रित भार (प्रति भार): (क) 10 किलोग्राम तक के लिए 1000.00 रुपये (ख) 10 किलोग्राम से अधिक और 50 किलोग्राम तक के लिए 2000.00 रुपये का जुर्माना। (ii) ई2 श्रेणी के भार के लिए शुल्क ई1 श्रेणी के भार के लिए निर्धारित शुल्क का आधा होगा (iii) एफ1 श्रेणी के भार के लिए शुल्क ई1 श्रेणी के भार के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई होगा (iv) एफ2 श्रेणी के भार के लिए शुल्क ई1 श्रेणी के भार के लिए निर्धारित शुल्क का एक आठवां हिस्सा होगा (v) बुलियन का भार: (अ) 1 ग्राम से 500 ग्राम तक: 25 रुपये प्रति भार (ख) 500 ग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम तक: 50 रुपये प्रति भार (vi) कैरेट का भार: 50 रुपये प्रति भार (vii) बेलनाकार घुंड़ी प्रकार का भार: (अ) 1 ग्राम से 500 ग्राम तक: 10 रुपये प्रति भार (ब) 500 ग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम तक: 25 रुपये प्रति भार (vii) शीट धातु का भार (बुलियन के अलावा): 1 मि०ग्रा० से 500 मि०ग्रा० तक: 25 रुपये प्रति भार

		(ix) लोहे के 'ट्रकोणीय, घुंटीनुमा भार तथा समांतर चतुर्भुज का भार: (अ) 1 ग्राम से 500 ग्राम तक: 10 रुपये प्रति भार (ब) 500 ग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम तक: 25 रुपये प्रति भार (स) 10 किलोग्राम से अधिक और 50 किलोग्राम तक: 50 रुपये प्रति भार (x) उच्च मूल्यवर्ग के भार: (अ) 50 किलोग्राम से अधिक और 1000 किलोग्राम तक: 1000 रुपये (ब) 1000 किलोग्राम से अधिक और 5000 किलोग्राम तक: 1500 रुपये
12	गैस मीटर	(i) घरेलू: 500.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक: 2000.00 रुपये (iii) औद्योगिक 5000.00 रुपये
13	ऊर्जा मीटर	(i) घरेलू: 1000.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक: 3000.00 रुपये (iii) औद्योगिक 5000.00 रुपये
14	नमी मीटर	2500 रुपये
15	वाहनों के लिए गतिमापी	15,000 रुपये
16	श्वास विश्लेषक	2500 रुपये
17	बहुआयामी मापन उपकरण	3600 रुपये
18	प्रवाह मीटर	(i) 100 मि०मी० तक: 5000.00 रुपये (ii) 100 मि०मी० से अधिक: प्रत्येक 25 मि०मी० के लिए 5000.00 रुपये+1000.00 रुपये
19	पेट्रोल/डीजल डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 5,000 रुपये
20	सीएनजी डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 10,000 रुपये
21	एलपीजी डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 10,000 रुपये
22	एलएनजी डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 10,000 रुपये
23	हाइड्रोजन डिस्पेंसर	प्रत्येक नोजल के लिए 10,000 रुपये

छठी अनुसूची
[नियम 20 देखें]

सत्यापन और मुहर लगाने के लिए जोखिम श्रेणी का वर्गीकरण

क्र०सं०	जोखिम का वर्गीकरण	माप एवं तौल वस्तु
01	भारी जोखिम	- यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी II और I दोनों के लिए उच्च सटीकता श्रेणी और विशेष सटीकता वाले भार उपकरण - स्वचालित वजन मशीन - टोटलाइजिंग मशीन - आयतनमापन उपकरण - प्रवाह / बल्क मीटर - स्वचालित रेल वजन पुल - स्वचालित ग्रेविमेट्रिक फिलिंग उपकरण (इसमें मिलीलीटर या लीटर या इनके गुणकों में फिलिंग शामिल है) - असंतत योगात्मक स्वचालित भार यंत्र (हॉपर भार योगात्मक) - संपीडित प्राकृतिक गैस - ऑटो एलपीजी - गतिमान स्वचालित सड़क भार पुल - जल के अलावा अन्य द्रव मापन प्रणालियाँ - टैंकर ट्रक - बिजली मीटर - रक्तचाप मापने का उपकरण - पानी का मीटर - उच्च क्षमता वाली भार मशीनों का भार
02	मध्यम जोखिम	- भार - लंबाई माप - बीम स्केल श्रेणी ए और बी - बीम स्केल श्रेणी सी और डी - काउंटर मशीनें - ट्यूबलर संतुलन - व्यक्ति का वजन मापने वाली मशीन, बाथरूम को मापने वाले पैमाने को छोड़कर - पेग या शराब मापने का यंत्र - गैर-स्वचालित भार यंत्र, यांत्रिक (एनालॉग संकेत) / डिजिटल, सामान्य और मध्यम सटीकता श्रेणी III और IV से संबंधित - भंडारण टैंक - निरंतर योगात्मक स्वचालित वजन मापने वाले यंत्र (बेल्ट वजन) - तेल की मात्रा मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले टेप - वजन और वजन ग्रेडिंग मशीनों की जांच करना - रेखीय मापन उपकरण - शिशु या बच्चे का वजन मापने का तराजू - क्लिनिकल थर्मामीटर
03	कम जोखिम	- रसोई का पैमाना - बाथरूम का पैमाना

WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT (DEPARTMENT OF LEGAL METROLOGY)**NOTIFICATION**

Delhi, the 24th August, 2026

F. No. 12(3)/W&M/Enforcement/2026/853.—The following draft of the rules, which the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (e) of sub-section (2) of section 53 and sub-section (3) of section 24 read with sub-clause (q) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), is published for the information of the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the Delhi Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2026, will be taken into consideration by the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on or after the expiry of a period of ten (10) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette of Delhi as well as in 02 Hindi & 02 English National Daily Newspapers.

The objections or suggestions in this behalf shall be received by the Controller, Legal Metrology Department, Government of National Capital Territory of Delhi, in his office at Weights & Measures Department (Department Of Legal Metrology), Plot No-17, Institutional Area, Vishwas Nagar, New Delhi-110032 or on email IDs: controllerwmd@gmail.com or acwmhq@gmail.com.

DRAFT RULES**DELHI LEGAL METROLOGY (GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE) RULES, 2026****CHAPTER I****PRELIMINARY****1. Short title and Commencement -**

- (1) These rules may be called the Delhi Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires;
 - (a) “Act” means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010);
 - (b) “Government” means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi.
 - (c) “Department” means “Weights & Measures Department (Department of Legal Metrology), Government of National Capital Territory of Delhi
 - (d) “Controller” means the Controller, Legal Metrology, Government of National Capital Territory of Delhi;
 - (e) “Government Approved Test Centre” means a “Corporation/Organisation/Firm/Any other Legal Entity’ approved by the Government of National Capital Territory of Delhi for verification of such weights or measures as may be specified under these rules;
 - (f) “Principal Officer” means the person in-charge of the Government Approved Test Centre;
 - (g) “Schedule” means the Schedule appended to these rules.
- (2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act or The Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 (framed by Central Government) or the Delhi Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 shall have the meanings respectively assigned to them therein.

CHAPTER II**VERIFICATION OF WEIGHTS AND MEASURES**

- 3. Verification by Government Approved Test Centre:-** (1) The weights and measures specified in the First Schedule shall be got verified either by a Government Approved Test Centre or by the laboratories of the Department.
- (2) Any person may apply for verification or re-verification of one or more weights or measures.

CHAPTER III

APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

4. General provisions relating to Government Approved Test Centre:- (1) The Government shall notify from time to time the list of approved Government Approved Test Centres.

(2) A Government Approved Test Centre approved under these rules shall carry out verification of weights or measures in accordance with the provisions of the Act, the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and such other standards or specifications as may be notified by the Government.

(3) Every Government Approved Test Centre shall maintain such standard weights, measures, testing equipment and other infrastructure as specified under the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and such other standards or specifications as may be notified by the Government.

5. Approval of Government Approved Test Centre:- (1) Any Corporation/Organisation/Firm/Any other Legal Entity' desirous of obtaining approval as a Government Approved Test Centre shall submit an application to the Controller in the form specified in the Second Schedule and a fee of Rs. Two Lakh Fifty Thousand (Rs. 2,50,000/-) per weight or measure per year will be paid in the form of Demand Draft in favour of "Controller, Weights & Measures Department, GNCTD" payable at New Delhi at the time of applying for Government Approved Test Centre".

(2) The application shall be made by the Principal Officer of the proposed Government Approved Test Centre.

(3) While considering the application for approval, the Controller shall have regard to the following factors, namely:—

- (a) availability and accessibility of land and building;
- (b) adequacy of testing facilities, measuring equipment and infrastructure;
- (c) availability of technically qualified manpower;
- (d) capacity for efficient and timely service;
- (e) qualification and experience of the Principal Officer and technical staff;
- (f) any other factor which, in the opinion of the Controller, may affect the proper functioning of the Government Approved Test Centre;

(4) The Controller or any officer authorised by him may inspect the premises of the applicant before grant of approval.

(5) The Controller shall be the competent authority for grant of approval under these rules.

(6) Approval granted under these rules shall initially remain valid for a period of one calendar year and may thereafter be renewed as specified in these rules.

(7) The Controller shall assign a unique code number to every approved Government Approved Test Centre.

(8) The Government Approved Test Centre shall comply with the following conditions, namely:—

- (i) Follow the verification procedure prescribed under the Legal Metrology (General) Rules, 2011;
- (ii) Get the equipment periodically verified by the Secondary Standard Laboratory or any other agency approved by the Controller;
- (iii) Not verify Non-standard weight or measure;
- (iv) Submit to the Government, quarterly and annual reports regarding the number of weights and measures verified, in such form and manner as may be specified by the Controller.

(9) Where the Government Approved Test Centre does not fulfil the prescribed requirements, the Controller may reject the application by a reasoned order after giving the Government Approved Test Centre a reasonable opportunity of hearing.

(10) Any Government Approved Test Centre aggrieved by an order under sub-rule (9) may prefer an appeal before the Secretary, Department of Legal Metrology, Government of National Capital Territory of Delhi within thirty days.

(11) The Controller may suspend the approval granted to a Government Approved Test Centre for violation of the provisions of the Act or these rules.

(12) The Controller or any officer authorised by him may inspect the Government Approved Test Centre and call for such records as may be necessary.

(13) The Controller may cancel the approval granted to a Government Approved Test Centre where it ceases to fulfil the prescribed requirements:

Provided that no such approval shall be cancelled except after giving an opportunity of being heard.

(14) The Controller shall communicate every order of approval, suspension or cancellation to the Director of Legal Metrology, Government of India.

(15) The Controller may, having regard to the nature of verification activities undertaken by a Government Approved Test Centre and the potential risk arising therefrom, require such Government Approved Test Centre to obtain and maintain adequate third-party liability insurance coverage against any claim arising out of negligence, omission, wrongful verification, or violation of the provisions of the Act, the rules made thereunder, or any lawful directions issued by the Government or the Controller.

(16) The following entities shall, subject to compliance with the provisions of the Act and the rules made thereunder, be eligible to function as Government Approved Test Centres for verification of such weights and measures as specified under the Legal Metrology (General) Rules, 2011 or such other standards recognised under law, namely:—

- (i) Regional Reference Standard Laboratories functioning under the administrative control of the Department of Consumer Affairs, Government of India;
- (ii) laboratories accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) under ISO/IEC 17025:2017 for calibration of weights and measures, subject to fulfilment of the conditions specified under sub-rule (3);
- (iii) laboratories of the National Test House functioning under the administrative control of the Department of Consumer Affairs, Government of India; and
- (iv) Government Approved Test Centres or equivalent laboratories functioning under the Central Government or any State Government or Union Territory Administration.

6. Renewal of Government Approved Test Centre – (i) The approval granted to a Government Approved Test Centre may be renewed by the Controller, for a period not exceeding five years at a time, subject to the satisfactory functioning of the centre and continued compliance with the provisions of the Act, rules and directions issued thereunder.

- (ii) An application for renewal of approval as a Government Approved Test Centre shall be accompanied by a fee of Rs. Two Lakh Fifty Thousand (Rs. 2,50,000/-) per weight or measure per year, payable through Demand Draft drawn in favour of "Controller, Weights & Measures Department, GNCTD" payable at New Delhi.
- (iii) The Controller may, after such inspection or verification as deemed necessary, renew the approval of the Government Approved Test Centre for a period of not less than one calendar year and not exceeding five calendar years at a time, on payment of the prescribed fee specified in clause (ii) above.
- (iv) The certificate of approval issued to a Government Approved Test Centre shall remain valid for the period specified therein, unless suspended or cancelled in accordance with provisions of these rules.

CHAPTER IV

DUTIES, QUALIFICATIONS AND FUNCTIONS OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

7. Duties of Principal Officer.— The Principal Officer of a Government Approved Test Centre shall—

- (a) establish and operate the test centre independently;
- (b) ensure impartial discharge of duties by technical staff;
- (c) inform the Controller regarding cessation of operations;
- (d) maintain accuracy and calibration of testing equipment;
- (e) maintain records of verification and certificates issued;
- (f) establish a consumer grievance redressal mechanism;
- (g) comply with lawful directions issued by the Controller;
- (h) ensure that only conforming weights and measures are stamped;
- (i) ensure security of verification stamps against misuse;
- (j) return the verified weights or measures within fifteen days from the date of receipt.

8. Qualification:

- (i) The Principal Officer and technical staff shall possess qualifications equivalent to those prescribed for Legal Metrology Officers under the Legal Metrology (General) Rules, 2011;
- (ii) the Principal Officer and technical staff shall possess minimum three years' experience in the field of legal metrology.
- (iii) the employees shall be trained in institutions recognised or nominated by the Controller;

9. Fees for Verification or Re-verification - (1) The fee payable for verification or re-verification shall be such as specified in the Fifth Schedule:

Provided that, in respect of any weight or measure not specified in the Fifth Schedule, the fees prescribed under the Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 of the Government of National Capital Territory of Delhi shall apply where such verification or re-verification is carried out by a Government Approved Test Centre.

(2) Any weight or measure rejected during verification may be re-submitted after rectification on payment of fresh verification fee.

10. Mark of Verification - (1) Verification of weight or measure shall be carried out only upon receipt of prescribed fee together with an application containing—

- (A) name and address of the manufacturer, importer, dealer or user;
- (B) address and location of the premises where such weight or measure is manufactured, imported or intended to be used;
- (C) maximum and minimum capacity, 'e' or 'd' value and accuracy class of the weight or measure as per the Legal Metrology (General) Rules, 2011;

(2) A Government Approved Test Centre shall, after successful verification, stamp the weight or measure and issue a certificate of verification as proof of verification of the weight or measure concerned. The verification mark shall contain—

- (a) the letters "GNCTD" and the code number assigned to the Government Approved Test Centre; and
- (b) the quarter and year of verification.

(3) The certificate of verification shall remain valid for the period specified under the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and may be renewed for a further period upon payment of the prescribed fee as specified in the Fifth Schedule;

(4) A separate certificate of verification shall be issued by the test centre in respect of each weight or measure, and such certificate shall specifically correspond to the individual instrument verified.

11. Maintenance and Inspection of Records- (1) Every Government Approved Test Centre shall maintain records relating to verification and stamping of weights or measures for a minimum period of five years.

(2) Such records shall be produced before the Controller or any authorised officer whenever required.

12. Place of Verification - Verification may be carried out either at the approved premises of the Government Approved Test Centre or at such other place within the National Capital Territory of Delhi as may be permitted by the Controller.**13. Supervision -** The Controller or any authorised Legal Metrology Officer may inspect the functioning of a Government Approved Test Centre to ensure compliance with the Act and these rules.**14. Liability -** The Principal Officer shall be responsible for any loss, damage or legal liability arising from negligent verification or non-compliance with the provisions of the Act or rules made thereunder.**CHAPTER V****CERTIFICATE, SUSPENSION AND REVOCATION****15. Contents of Certificate of Approval -** (1) Every certificate of approval issued under these rules shall contain—

- (a) certificate number;
- (b) name and address of the Government Approved Test Centre;
- (c) category of weights or measures authorised for verification;
- (d) assigned code number;
- (e) conditions of approval, if any;

- (f) validity period of approval;
- (g) range of verification authorised;
- (h) contact details for consumer grievance redressal.

(2) Where any weight or measure is approved for a specific or special use, the certificate of approval relating thereto shall clearly specify such special use.

(3) The Controller shall cause the particulars of every certificate of approval granted under these rules to be published in the Official Gazette.

(4) The Controller may also publish the information referred to in the foregoing sub-rules in any journal or publication brought out by the Government of National Capital Territory of Delhi or Central Government.

16. Mark assigned to Government Approved Test Centre.—The mark assigned to a Government Approved Test Centre shall consist of the identification letters “GNCTD”, followed by the last two digits of the year of issue of the certificate of approval (for example, “26”), and the code number assigned to it.

17. Suspension of Certificate - (1) The Controller may suspend the certificate of approval where—

- (a) verification is not carried out in accordance with the Act or the rules made thereunder;
- (b) verification standards are compromised; or
- (c) conditions of approval are violated.

(2) No such suspension shall be made except after giving the concerned Government Approved Test Centre an opportunity of being heard.

(3) The suspension may be revoked upon compliance by the Government Approved Test Centre with the applicable terms and conditions and payment of such penalty, not exceeding Rupees One Lakh, as may be imposed by the Controller, Legal Metrology, having regard to the nature and gravity of the violation.

18. Revocation of Certificate - (1) The certificate of approval granted to a Government Approved Test Centre may be revoked by the Controller, Legal Metrology, if the Controller is satisfied that the Government Approved Test Centre no longer complies with the provisions of the Act or the rules made thereunder, or has violated any directions issued by the Controller from time to time.

Provided that no such certificate shall be revoked unless the holder thereof has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Upon revocation, the Government Approved Test Centre shall immediately cease verification activities.

(3) Provided that where, upon inspection, it is found that any verification or re-verification of weights or measures has been carried out after such revocation, the Controller may, by order, prohibit the use of such weight or measure and initiate appropriate penal action in accordance with law.

(4) Every order relating to suspension or revocation of a certificate of approval shall be duly notified in such manner as may be specified by the Controller.

CHAPTER VI
MISCELLANEOUS

19. Expenditure on assessment or re-assessment or inspection of Government Approved Test Centre during the calendar year - All expenses incurred in connection with the assessment, re-assessment, or mandatory annual inspection of a Government Approved Test Centre, including transportation, accommodation, and other admissible entitlements of the officer(s) concerned, as well as expenses relating to provision of necessary facilities and cooperation during such process, shall be borne by the Government Approved Test Centre.

20. Risk Categorisation of Weights and Measures - (1) Verification and stamping of weights or measures used for commercial purposes shall be carried out on the basis of self-certification in respect of instruments classified as Low Risk Categories. In the case of weights or measures falling under other risk categories, verification and stamping shall be undertaken either by a Government Approved Test Centre or by the Legal Metrology Laboratories of the Department.

(2) The risk categories of weights or measures have been classified as High Risk, Medium Risk, and Low Risk, as specified in Schedule VI.

21. Compounding of Offences - Offences compoundable under section 48 of the Act may be compounded in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

22. Power to Issue Directions - The Controller may issue administrative directions, not inconsistent with the Act and these rules, for effective implementation of these rules.

23. Repeal and Savings - (1) Any corresponding executive instructions in force immediately before commencement of these rules shall stand superseded.

(2) Notwithstanding such supersession, anything done or any action taken under the said instructions shall be deemed to have been done or taken under these rules.

PANKAJ KUMAR, IAS Controller

FIRST SCHEDULE**(See sub rule (1) of rule 3)****Weights and measures verified by Government Approved Test Centre.**

(i) The following weights and measures may be verified by Government Approved Test Centre:

1. Water meter
2. Sphygmomanometer
3. Clinical thermometer
4. Automatic rail weighbridges
5. Tape measures
6. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150kg)
7. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class IIII
8. Load cell
9. Beam scale
10. Counter machine
11. Weights of all category
12. Gas meters
13. Energy meters
14. Moisture meters
15. Speed meters for vehicles
16. Breath analyzers
17. Multi-dimensional measuring instruments
18. Flow meters.
19. Petrol/ diesel dispenser
20. CNG dispenser
21. LPG dispenser
22. LNG dispenser
23. Hydrogen dispenser.

(ii) Any other weight or measure prescribed by the Govt. of NCT of Delhi.”.

SECOND SCHEDULE
(See sub-rule (1) of rule 5)

Application for Approval of Government Approved Test Centre

- (1) Full name and complete address of the applicant;
- (2) Name of the weight or measure for which Government Approved Test Centre has been applied;
- (3) Experience detail in the relevant field of the applicant;
- (4) Detail of the organizational structure;
- (5) Qualification of Principal Officer and other technical staff;
- (6) Detail of the standards available and other testing facilities available with the applicant/centre;
- (7) Copy of the Quality management system of the laboratory, if available;
- (8) Details of the Demand Draft;
- (9) Jurisdiction/area for which application is made;
- (10) Consumer complaint number.

Signature of Applicant

Note: Every application shall be in triplicate accompanied by complete documents and terms and conditions. A fee of Rs. Two Lakh Fifty Thousand (Rs. 2,50,000/-) per weight or measure per year will be paid in the form of Demand Draft in favour of "Controller, Weights & Measures Deptt, GNCTD" payable at New Delhi at the time of applying for Government Approved Test Centre".

THIRD SCHEDULE**[SEE RULE 10]****CERTIFICATE OF VERIFICATION**

Government Approved Test Centre (Name and Address)..... No.....

Name of the Officer

I hereby certify that I have this day verified and stamped / rejected the under mentioned weights, measurers, etc. Belonging to Locality

.....

Quantity	Denomination		Weighing instruments				Measuring instruments	Verification Fee Rs. p	Carriage, conveyance adjusting charges etc.
	Weights	Measures	Capacity	Class	Manufacturer	Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total Rs. deposited vide Money receipt .No.....dated

Repaired by/ Used by

.....(Signature)

Next verification due on

Principal Officer

Note:- In the case of rejected weights, measures, etc. the principal officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

**FOURTH SCHEDULE [SEE RULE 15]
CERTIFICATE OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE**

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT (DEPARTMENT OF LEGAL METROLOGY)
CERTIFICATE OF APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE
[Under Section 24 of the Legal Metrology Act, 2009]**

F.No:

Dated:

Certify that M/s(name and address of Government Approved Test Centre) has been approved as Government Approved Test Centre for(name of place/ district) for the verification of following weights and measures with their ranges:

- (i)
- (ii)
- (iii)

Certificate No: GNCTD/ GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE/..... (two digits of the State Code)/ 2026/

Valid up to:.....

Controller of Legal Metrology Copy to: The Director of Legal Metrology, Govt. of India for kind information.

Note: in case of consumer complaint please contact"

FIFTH SCHEDULE [Rule 9(1)] - FEE PAYABLE TO TEST CENTRE FOR VERIFICATION OR RE-VERIFICATION

S.No	Item	Verification Fee (In Rupees)
1	Water Meter	(i) Rs. 250.00 for domestic water meter (ii) Rs. 1000.00 for commercial water meters (iii) Rs. 2500.00 for industrial water meters
2	sphygmomanometer	Rs. 100.00 per sphygmomanometer
3	clinical thermometer	Rs. 50.00 per clinical thermometer
4	Automatic rail weighbridges	As per State Government fees
5	Tape measures	(i) Class I: Rs. 2.00 per meter or part thereof (ii) Class II: Rs. 1.00 per meter or part thereof (iii) Class III: Rs. 0.50 per meter or part thereof
6	Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150kg)	(i) Rs. 2000.00 upto 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg
7	Non-automatic weighing instruments of Accuracy class IIII	(i) Rs. 2000.00 upto 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg
8	Load cell	(i) Rs. 2000.00 upto 5 kN (ii) Rs. 5,000.00 above 5 kN and upto 100kN
9	Beam scale	(i) Rs. 500.00 upto 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
10	Counter machine	(i) Rs. 500.00 upto 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
11	Weights of all category	(i) Fees for E1 Class: (A) 1mg to 200g (22 pieces including rider): Rs. 15,000 (B) Assorted weights (per weight): (a) Rs. 1,000 upto 10 kg (b) Rs. 2,000 above 10 kg upto 50 kg (ii) Fees for E2 class weights will be one half the fees specified for E1 class weights (iii) Fees for F1 class weights will be one fourth the fees specified for E1 class weights (iv) Fees for F2 class weights will be one eighth the fees specified for E1 class weights (v) Bullion weights: (A) 1g to 500 g: Rs. 25 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 50 per weight (vi) Carat weights: Rs. 50 per weight (vii) Cylindrical knob type weight: (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 25 per weight (viii) Sheet metal Weight (other than Bullion): 1mg to 500 mg: Rs. 25 per weight (ix) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weight: (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 25 per weight (C) Above 10kg to 50kg: Rs. 50 per weight (x) Higher denomination weights: (A) Above 50 kg to 1000 kg: Rs. 1000 (B) Above 1000 kg to 5000 kg: Rs. 1500
12	Gas meters	(i) Domestic: Rs. 500.00 (ii) Commercial: Rs. 2000.00 (iii) Industrial Rs. 5000.00
13	Energy meters	(i) Domestic: Rs. 1000.00 (ii) Commercial: Rs. 3000.00 (iii) Industrial Rs. 5000.00
14	Moisture meters	Rs. 2500
15	Speed meters for vehicles	Rs. 15,000
16	Breath analysers	Rs. 2500
17	Multi-dimensional measuring instruments	Rs. 3600
18	Flow meters	(i) Upto 100 mm: Rs. 5000.00 (ii) Above 100 mm: Rs. 5000.00+ Rs. 1000.00 for every 25 mm".
19	Petrol/ diesel dispenser	Rs. 5,000.00 each nozzle
20	CNG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
21	LPG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
22	LNG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
23	Hydrogen dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle

SIXTH SCHEDULE [See rule 20]
CLASSIFICATION OF RISK CATEGORY FOR VERIFICATION AND STAMPING

S.No	Classification of Risk	Weights and Measures articles
01	High Risk	1. Weighing instruments, of high accuracy class and special accuracy both mechanical and electronics class II & I. 2. Automatic Weighing Machine: 3. Totalizing Machine 4. Volumetric measuring instruments 5. Flow / Bulk meters 6. Automatic Rail weighbridge 7. Automatic Gravimetric Filling Instruments (it includes fill in ml or liter or in Multiples thereto) 8. Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (Totalizing Hopper Weights) 9. Compressed Natural Gas 10. Auto LPG 11. Automatic in motion road weigh bridge 12. Liquid measuring systems other than water 13. Tank Trucks 14. Electricity meter 15. Blood Pressure Measuring instrument 16. Water meter 17. Weights for high capacity weighing machines
02	Medium Risk	1. Weights 2. Length Measures 3. Beam Scale Class A & B 4. Beam Scales Class C & D 5. Counter Machines 6. Tubular balance 7. Person weighing machine excluding bath room scales 8. Peg or liquor measure 9. Non-Automatic weighing Instruments, mechanical (analogue indication) / digital belonging to ordinary and medium accuracy class III & IV 10. Storage Tank 11. Continuous totalizing automatic weighing Instruments (Belt Weights) 12. Tapes for use in measurement of Oil quantities 13. Check Weighing and Weight Grading Machines 14. Linear Measuring Instruments 15. Baby or child weighing Scales 16. Clinical Thermometer
03	Low Risk	1. Kitchen Scale 2. Bathroom Scales